

उपखण्ड १/५ जमील खै जे
 दवा सं 102/14

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकान
 हुक्म की
 जा

नादी
 की जाती
 दिनांक

2-2-18

नकुलाय कटीकेन उपाक्षेत्र. साक्ष्य प्रतिवादी
 हेतु समय नारा को का दिनांक 12.3.18
 पत्रावली वाले साक्ष्य प्रतिवादी को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
 नगर (भरतपुर) गज०

23/18

अभिभाषक संघ द्वारा कार्य का बहिष्कार रखा गया है। अतः
 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-4-18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
 नगर (भरतपुर) गज०

16/18

नकुलाय कटीकेन उपाक्षेत्र. साक्ष्य प्रतिवादी
 हेतु समय नारा. पत्रावली वाले साक्ष्य
 प्रतिवादी दिनांक 15.5.18 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
 नगर (भरतपुर) गज०

21/18

आज पत्रावली राजस्व लेक अदालत अफियान
 न्याय आपने डार 2018 कैम्प सौमला कला के
 प्रस्तुत हुई। मजदूरी आप के पत्रावली का दायन
 सर्वे कवलेकन किया. समय पक्ष को हुना गया।
 वादी जैकफ हला भर दवा अंतर्गत आता
 53, 88-09.188 & 188 वि. भां. ख. नं. 174, 175
 माने आप सौमला कला तह नारा के कवलेकन
 पहलु किया है। नकुल जमाकंदी सं. 2067-70
 वाले आप सौमला कला तह नारा के आ. ख. नं.
 174 को कवलेकन - जमील खै पुन अदालत खै
 4218 जैकफ पुन भोला 12 कै. सं. से व लवलेकन
 कर सेना पाया जाता है जिससे वादी खै जैकफ
 सं. 1 जमील वि. भां. 2

शुभ
 पत्र
 218

अतः
 सं. 1

होम में व साक्षर डेर खलेदार - दर्ज ठिकाने ही
 जिससे स्पष्ट है कि वि. सं. क्र. 175, प्रसि. सं.
 ले. 2 लगन-6 के रिपोर्ट (खलेदार) है, जिसके विरुद्ध
 नाथी इलाख खलेदार विवेचना से पर्याप्त होने
 काबल अनुलोख नाल है कि प्रसि. सं. 175 के
 पर. होने नखदान में किली प्रकार का निर्माण
 नहीं करें। इस प्रकार उक्त विवेचना से यह स्पष्ट
 है कि क्र. 174 वाले एवं प्रसि. सं. 1 के लखे-
 खलेदार के प्रसि. सं. जिलका के विभाजन कार्य
 के अधिकारी हैं, तथा क्र. 175 प्रसि. सं. 2 सं. 6
 के लखेदार के प्रसि. सं. जिलका के कार्यवाही में
 अनुलोख जाने का अधिकारी हैं। अतः आदेश है -
 कि-दावा वादी आंगिक डि. को कले डए -
 प्रथमिक डि. को वि. जा. है। तदुसीलदार
 नगर सं. क्र. 174 वाले ग्राम सेमला कलां
 तदुसीलदार को काबल नाथी एवं प्रसि. सं.
 सं. 1 के अथवा राजलखी रिपोर्ट के दर्ज रहे।
 अनुलोख अच्यो से से अच्यो नुपे में हुकुमी
 आरजी के हुके कनाथे जात विभाजन प्रस्ताव
 में मा. का प्रस्तुत करें। इसी प्रकार प्रथमिक
 डि. जारी है।

(उपखण्ड अधिकारी)
 नगर (भरतपुर) गज

तदुसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव
 (हुके रिपोर्ट) प्रस्तुत हुई, कुं रिपोर्ट का ध्यान
 पूर्वक अवलोकन किया। दावा वादी मुलाकेक
 विभाजन प्रस्ताव डि. को वि. जाने योग्य है। अतः
 आदेश है कि -

दावा वादी अंतिम डि. को वि. जा. है।
 ग्राम सेमला कलां तदुसीलदार के सं. क्र.
 174 का प्रसि. सं. जमील एवं पुन इलाख

